बिहार लोक सेवा आयोग

15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना– 800001

विज्ञापन संख्या– 15/2014, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के उम्मीदवारों के लिए आवश्यक सूचना

स्वास्थ्य विभाग, बिहार के अंतर्गत सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति हेतु आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या– 15/2014 के तहत आयोजित साक्षात्कार में उपस्थित कुछ उम्मीदवारों द्वारा अपने साक्षात्कार के दिन शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, अनुभव प्रमाण पत्रों या क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए थे। इसके लिए आयोग द्वारा पूर्व में समाचार पत्रों में दिनांक 17.07.2015 को आवश्यक सूचना प्रकाशित कर दिनांक 22.07.2015 से दिनांक 24.07.2015 तक का समय प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के सत्यापन हेतु दिया गया था, जिसके आलोक में कुछ उम्मीदवारों द्वारा प्रमाण पत्रों की मूल प्रति सत्यापन हेतु प्रस्तुत की गयी। इसके बावजूद अभी भी कुछ ऐसे उम्मीदवार पाये गये हैं, जिनके द्वारा अपने **MBBS का मूल प्रमाण पत्र, MBBS के सभी वर्षों की परीक्षा के सम्पूर्ण अंक पत्र, निबंधन प्रमाण पत्र, उम्र के सत्यापन हेतु मैट्रिक प्रमाण पत्र और क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र अथवा जाति प्रमाण पत्र** की मूल प्रति सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी है। **ऐसे उम्मीदवारों को अंतिम अवसर देते हुए सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 25.08.2015 (दिन– मंगलवार) तक कार्यालय अवधि में उन प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ, दो छायाप्रतियों के साथ आयोग कार्यालय में हाथोंहाथ जमा करते हुए सत्यापित कराना सुनिश्चित करेंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त वर्णित प्रमाण पत्र आदि को सत्यापित नहीं कराने वाले उम्मीदवारों के सम्बन्ध में आयोग आवश्यक निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र होगा। जिन उम्मीदवारों ने पूर्व में आयोग के जाँच दल से अपने मूल प्रमाण पत्र का सत्यापन कराते हुए उनकी छायाप्रतियों को जमा कर दिया हैं उन्हें पुनः उन्हीं प्रमाण पत्रों को सत्यापित कराने की आवश्यकता नहीं है।**

यह सूचना आयोग के वेबसाईट http://bpsc.bih.nic.in पर भी उपलब्ध है।

20/8/15

संयुक्त सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना